राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 891/2023

बालचंद कारपेन्टर **–अपीलार्थी**

बनाम

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.02.2023
आदेश की दिनांक : 10.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सलौतिया, ब्लॉक झालरापाटन, झालावाड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.11.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पापडा, भरतपुर किया गया है, जबकि अपीलार्थी राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मानित है। अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष आदेश दिनांक 28.11.2022 के विरूद्ध एक अपील संख्या 6174/2022 प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय अधिकरण ने दिनांक 01.12.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित करते हुए विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 07.12.2022 (अनुलग्नक–6) के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया लेकिन विभाग द्वारा इस आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को आदेश दिनांक 06.02.2023 के द्वारा यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि शिक्षा विभाग की नई स्थानान्तरण नीति दिनांक 14.07.2022 में राज्य स्तरीय पुरस्कार कार्मिकों को स्थानान्तरण में शिथिलता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है, जबकि अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि

राज्य सरकार का आदेश दिनांक 07.02.2011 (अनुलग्नक–4) एक आदेश है, जिसके आधार पर प्रतिवेदन का निस्तारण किया जाना था।

अतः अपीलार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.02.2023 (अनुलग्नक–1) एवं स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.11.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सलौतिया, ब्लॉक झालरापाटन, झालावाड़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि आदेश दिनांक 07.02.2011 (अनुलग्नक–4) को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी का प्रतिवेदन का निस्तारण किया जावे। अपीलार्थी को भी आदेश किया जाता है कि वह नये सिरे से तीन विकल्पों का उल्लेख करते हुए विभाग के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इस प्रकार मामले में न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 06.02.2023 (अनुलग्नक–1) एवं स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.11.2022 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जाए जहां वह चुनौती आदेश पारित करने से पूर्व कार्यरत था, साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य